राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3966/2022

विजय कुमार जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी स्कूल, गैटोर, जयपुर।
4. सुनिता मीणा, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय महात्मा गांधी स्कूल, गैटोर, जयपुर

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.10.2022

उपस्थित
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी क्रम 4 की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए अपील की सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, गैटोर, जयपुर से महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, साकून, जयपुर में किया गया है एवं अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है, जो केवल निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से पारित किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत निशक्त है। निशक्त व्यक्ति का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी के संबंध में निरस्त किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, जिसमें उन्होंने अपने अभिवचनों की पुनरावृति की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी स्कूल व्याख्याता हिन्दी के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साकून, जयपुर में किया गया है, जबकि अपीलार्थी 40 निशक्त है। अपीलार्थी के पैर में स्थायी निशक्तता है और एक पैर की लम्बाई डेढ इंच छोटी है। उसका स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से 100 कि.मी. दूर किया गया। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 15 दिवस की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R